रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2540] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941
No. 2540] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

का.आ. 2794(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5835 (अ), तारीख 22 नवम्बर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 26 नवम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में तेरुनेलवेली जिला के तेनकसी, शेनकोट्टाई, कदयानाल्लुर और शिवागिरि तालुकों के अन्तर्गत 356.7333 **वर्ग किलोमीटर** (35,673.33 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है। अभयारण्य अक्षांश उ 8° 30" से उ 9° 30" और देशांतर पू 76°10" पू से 78°20" में स्थित है;

और, भंगुर पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रणाली की सुरक्षा, संरक्षण और परिरक्षण के लिए दिनांक 12.01.2015 के सरकारी आदेश सं.12 के अनुसार नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य तिरुनेलवेली वन संभाग पश्चिमी घाट क्षेत्र में 35,673.33 हेक्टेयर में है अभयारण्य में अनेक पौधों और पशु प्रजातियों का वास है। इसमें 456 पौधों की प्रजातियाँ जिसमें जिमनोस्पर्मस की 3 दुर्लभ, लुप्तप्राय और 40 संकटापन्न प्रजातियाँ हैं। अभयारण्य में 64 स्तनधारियों, 69 सरीसृपों की और 118 पक्षीजीवों का भी पर्यावास है;

और, संभाग के घाट खंड में लगभग 27 नदियों और धाराओं की पहचान की गई है। अल्प मानसून और जल संभर क्षेत्र के मध्य और निचले भागों में वनस्पति की सघनता में कमी के कारण अधिकांश नदियाँ और धाराएं सूख जाती हैं, तथापि, सामान्यतः मौसमी और आकस्मिक बाढ़ की सूचना भी है;

और, इस संभाग की महत्वपूर्ण नदियां ये हैं - देवी अरु, उदुमबुथेरी अरु, वलीवल्ली अरु, पेयान अरु, कोमबई अरु, पसीयाथु ओदई, रसिंगापेरी अरु, कुलासेकरापेरी अरु, कालीअरु, वट्टाकन्नी अरु, कुलीराट्टी अरु, कोट्टामलाई अरु, करुप्पासामी अरु, वलाईमलाई अरु, पेरिया अरु, चित्तारु, पलारु, वरात्तारु, हनुमान नदी, एरुमाईचेदी अरु, अदाविनयीनारु अरु, उक्कोरु अरु, मोट्टाई अरु, करुंगल ओदई, ऐंथालाई अरुवी, अज़ुथाकन्नी अरु (पुराना कोर्टलम झरनें), पोंदुकल्लु अरु और प्रायः सभी दी गई नदियां बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुँचती है लेकिन समतल भूमि में असंख्य तालाबों में समाप्त हो जाती है और लोगों द्वारा पूरी तरह से इनका उपयोग किया जाता है;

और, नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति और जीवजंतुओं की विविधता है। वनस्पतियों के उदाहरण नयूरुवी (*आचिरांथेस एस्पेरा एल.*), चेन्नायुरुवी (*आचिरांथेस बिदेनताता ब्लूम*), चोक्काला (*एग्लाया एलिएग्नोइडेडा (जुस.) बेन्थ*), कुतानाराई (*अल्फोन्सा स्क्लेरोकार्पा थू.*), मुतु पाज़म (*बाक्कारेया कोर्टेलेंसिस मुएल-आर्ग.*), ओतुपुल्लू (*बिडेंस पिलोसा एल.*), थेंपू (*वर्नोनिया ट्रेवांकोरिका हुक. एफ.*) आदि हैं;

और, अभयारण्य में अनेक प्रकार के पक्षी, तितलियाँ, कीड़े-मकोड़े, सरीसृप, उभयचर और स्तनधारी हैं। स्तनधारियों के उदाहरण चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), भारतीय गौर (*बॉस गौरस*), एशियाई हाथी (*एलेफस मैक्सिनस*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), नीलगिरी लंगूर (*सेमनोपिथेकस एंटेलस*) आदि हैं; पक्षियों के उदाहरण रेड-व्हिस्क्ड बुलबुल (*फाइकोनोटस जोकस*), व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर (*हैल्सीन स्मरिनेसिस*), पिफौल (*पावो क्रिस्टेटस*), भारतीय कोयल (*क्यूकुलस माइक्रोप्रेटस*) आदि हैं; उभयचरों के उदाहरण कॉमन इंडियन टोड *(दत्ताफ्राइनस मेलेनोस्टिक्टस)*, स्किपर मेढ़क *(यूफलीटिस साइनोफ्लिक्टिस*) आदि हैं;

और, नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खण्ड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवाली जिलें में नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 106.24 वर्ग किलोमीटर है। (*ग्रिज़ल्ड जैन्ट गिलहरी अभयारण्य के साथ उत्तरी सीमा की ओर शून्य विस्तार में सीमांकित है, जबकि केरल के पेरियर बाघ रिज़र्व, अभयारण्य और रिज़र्व वन पश्चिमी भाग में चारों ओर है और कोर्टाल्लाम और पुलीयाराई रिज़र्व वन दक्षिणी भाग में आच्छादित है जिसमें कई झरनें है और इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य रखा गया है*)।

(2) नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग** और **उपाबंध-IIघ** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और

इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ, एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा और इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल, रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगरी भी है।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागवानी और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त इस अधिसूचना का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	तहसीलदार, तेनकाशी, शेनकोट्टाह, कदयानाल्लूर, शिवगिरी	सदस्य;
(iii)	टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	भूविज्ञान और खनन विभाग से एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	जिला वन अधिकारी, तिरुनेलवेली	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियो को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रत्येक प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे ।

7. सर्वोच्च न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

8. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

[फा. सं. 25/30/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

तमिलनाडु राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन

उत्तर	उत्तर सीमा ग्रिज्जलड जैंट गिलहरी अभयारण्य, श्रीविल्लीपुथुर द्वारा आच्छादित है।
उत्तर पूर्व	अतः सीमा कोमबयार और वावज़हिली अरु से होते हुए विश्वनाथापेरी ग्राम की उत्तरी सीमा से मिलकर दक्षिण की ओर जाती है।
पूर्व	अतः सीमा रसिंगापेरीकुलम, वासुपेरीयाकुलम से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाकर पुलियानकुदी मिलन से मिलती है।
दक्षिण पूर्व	सीमा दक्षिण की ओर आरंभ होकर वलायार कुदीरीरुप्पु से मिलती है।

दक्षिण	सीमा अचनकोविल रोड, तिरुमालाईकुमारासामी कोविल सड़क और अंगन कॉलेज ग्राम को पार करके बगवथीपुरम ग्राम से मिलकर दक्षिण की ओर जाती है।
दक्षिण पश्चिम	दक्षिण पश्चिम सीमा कोर्टआलम रिजर्व वन और कलाक्काड मुंदान्थुराई टाइगर रिजर्व और केरल राज्य द्वारा आच्छादित है।
पश्चिम	नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य का पश्चिमी भाग पेरियार टाइगर रिजर्व, शेनदुरुनी वन्यजीव अभयारण्य, पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य और रिजर्व वन क्षेत्रों द्वारा घिरा हुआ है।
उत्तर पश्चिम	केरल राज्य के रन्नी वन संभाग, थेनमलाई वन संभाग और त्रिवनद्रम वन संभाग उत्तर पश्चिम भाग में है।

उपाबंध- I क

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन और 10 किलोमीटर बफर का गूगल मानचित्र

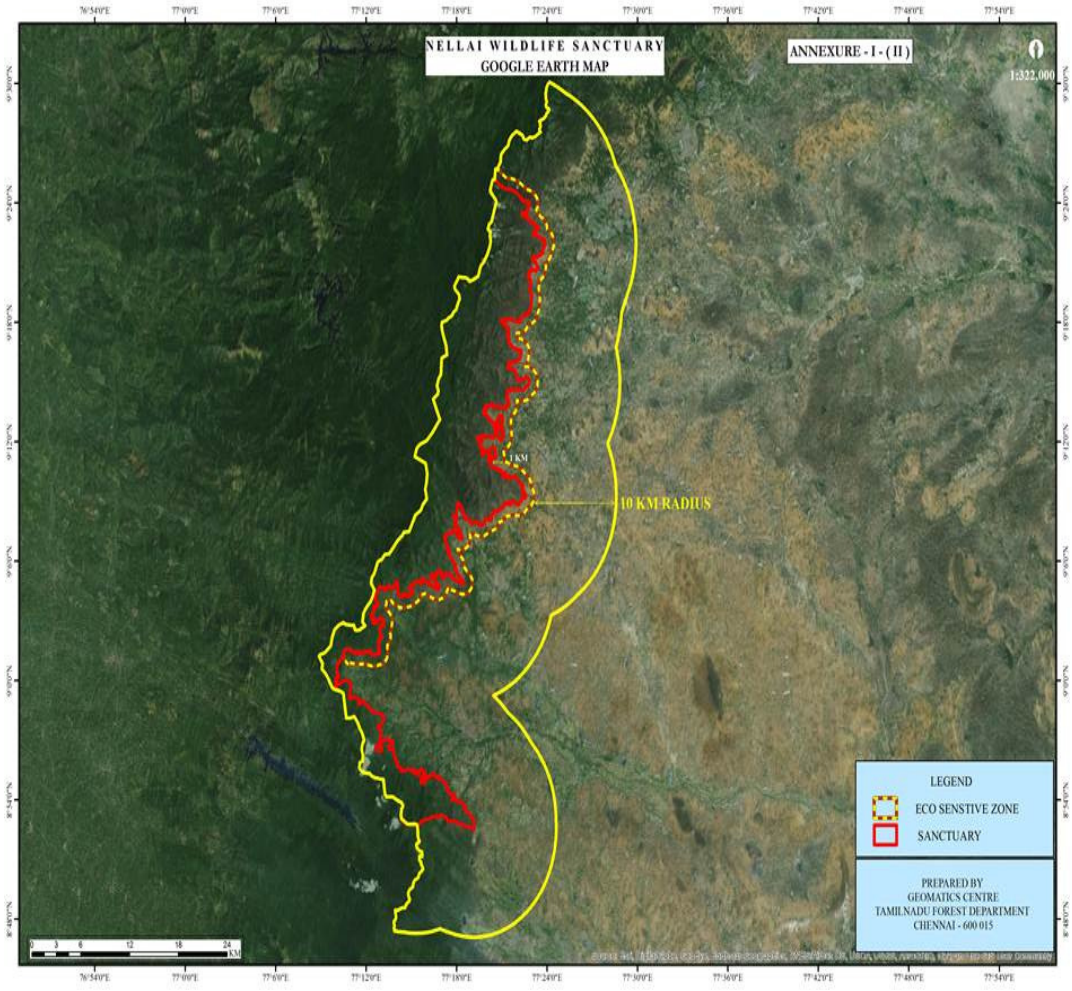

उपाबंध- IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

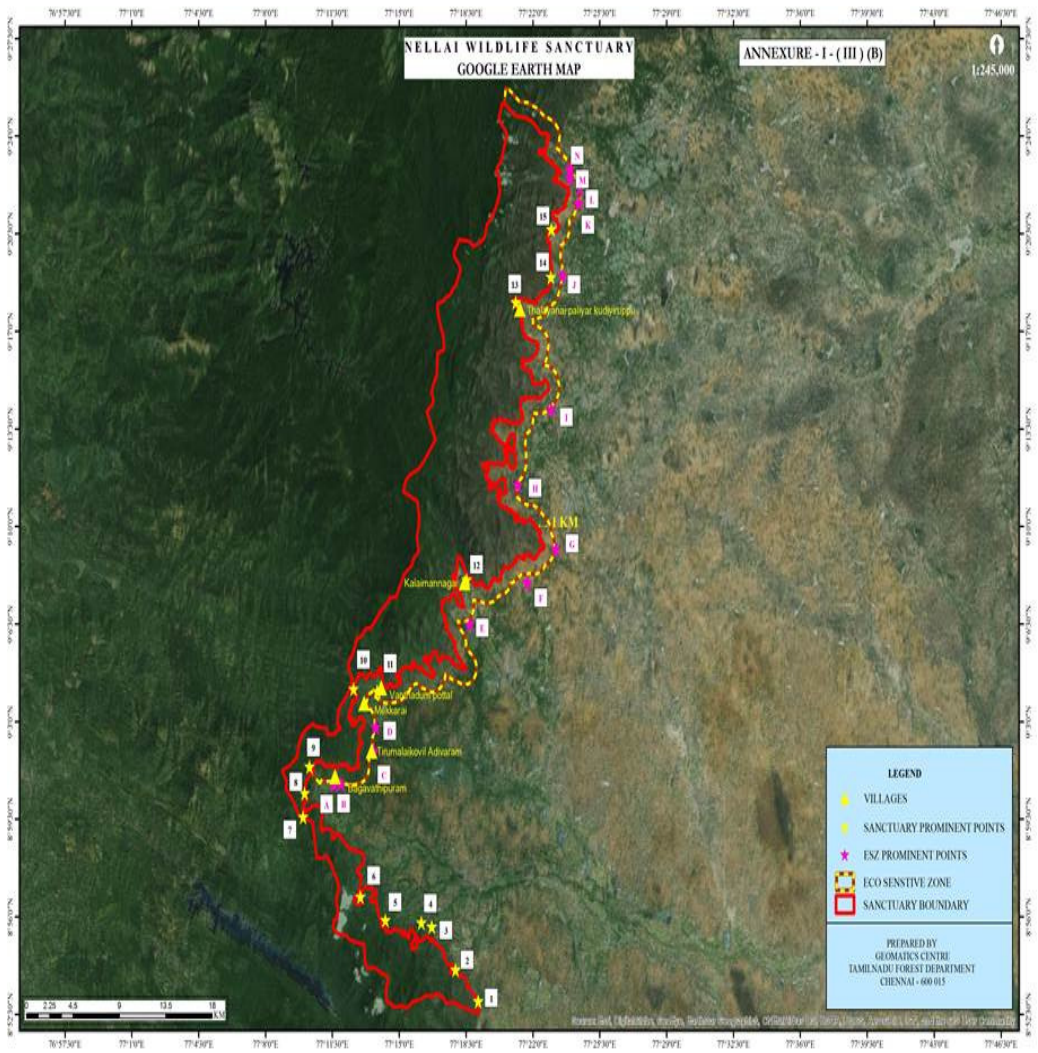

उपाबंध- IIग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

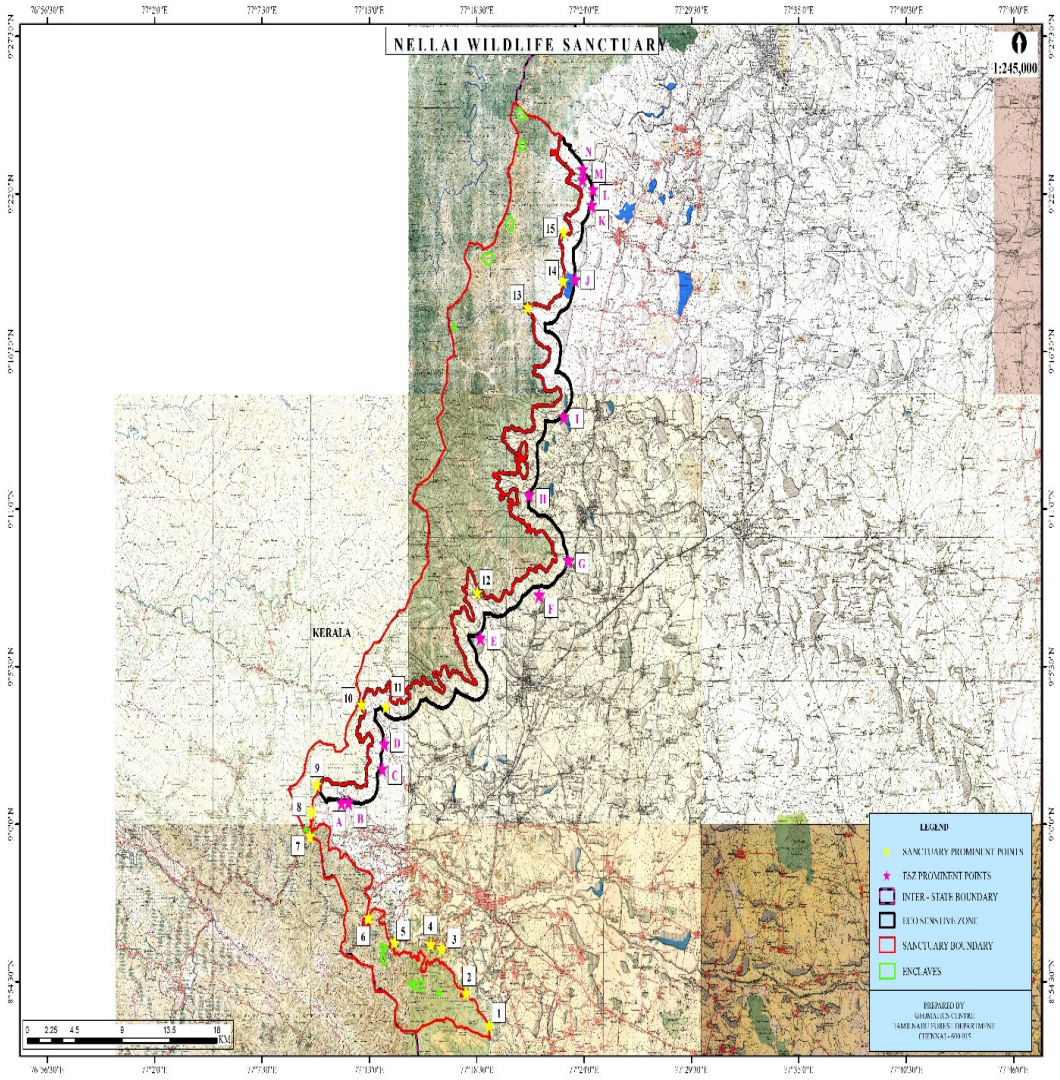

उपाबंध- IIघ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

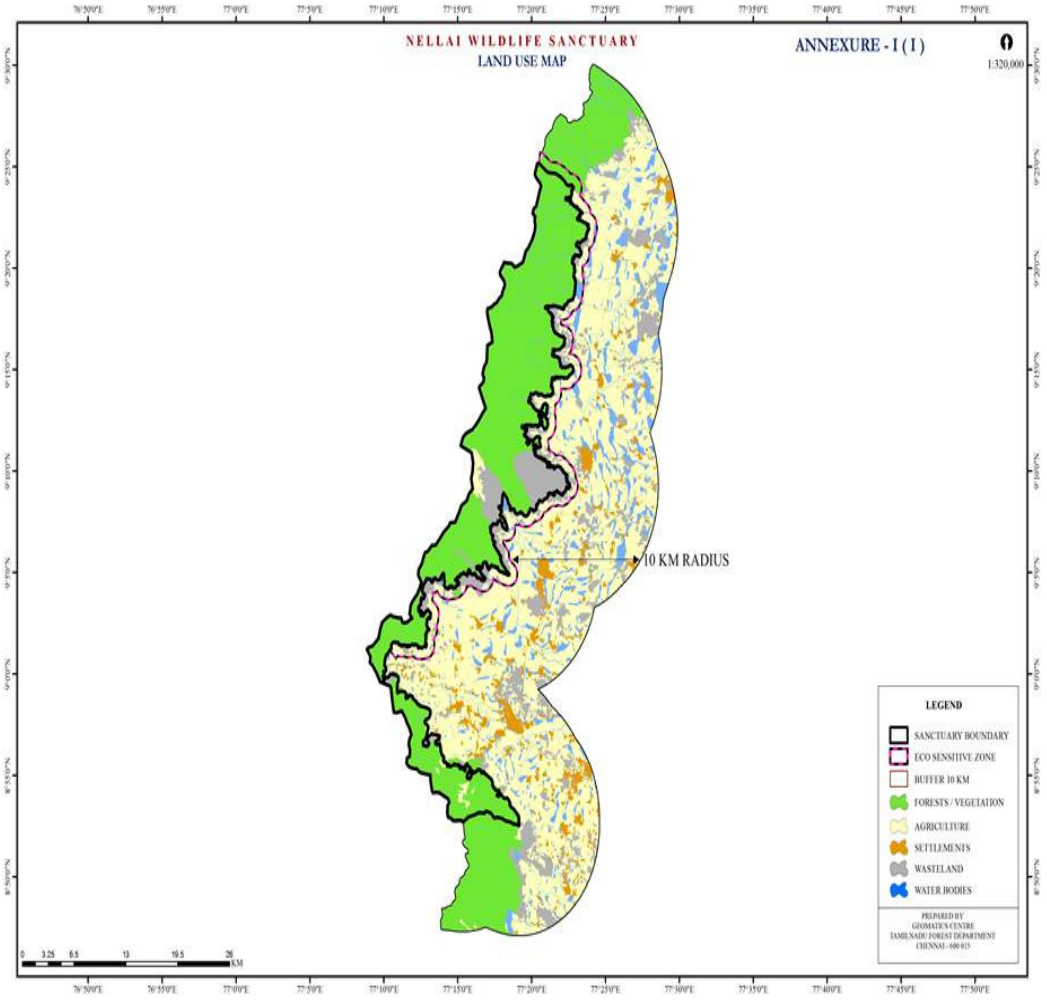

उपाबंध-III

सारणी क: नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	मुख्य बिंदु
1	8°52'57.83"	77°19'8.04"	के एम टी आर सीमा
2	8°54'5.44"	77°17'57.23"	पुराना कोर्टआलम
3	8°55'38.50"	77°16'42.42"	टाईगर झरनें
4	8°55'47.24"	77°16'9.41"	मुख्य झरनें
5	8°55'52.28"	77°14'16.94"	पांच झरनें
6	8°56'43.12"	77°12'58.57"	गुण्डर बांध
7	8°59'34.58"	77° 9'58.39"	घाट सड़क
8	9° 0'25.81"	77°10'3.11"	एस बेंड
9	9° 1'22.58"	77°10'18.62"	पुलियारुवी बांध
10	9° 4'10.45"	77°12'36.54"	अचानकोविल सड़क
11	9° 4'4.87"	77°13'51.02"	अदाविनैनार बांध
12	9° 8'4.99"	77°18'32.15"	करुप्पानाधी बांध
13	9°18'2.12"	77°21'6.48"	थालयानाई नदी
14	9°18'56.56"	77°22'56.60"	रसिंगापेरी झील
15	9°20'39.23"	77°22'57.90"	कोबायार नदी

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	मुख्य नाम
ए	9° 0'44.64"	77°11'34.98"	बगावाथीपुरम ग्राम
बी	9° 0'45.79"	77°11'56.33"	अंगन कॉलोनी ग्राम
सी	9° 1'55.49"	77°13'40.37"	थिरुमलाईसामी कोविल सड़क
डी	9° 2'48.08"	77°13'46.06"	अचनकोविल सड़क
ई	9° 6'29.45"	77°18'41.44"	कदयानाल्लुर सड़क
एफ	9° 7'59.38"	77°21'42.23"	निकट वलायारकुदियीरुप्पु
जी	9° 9'11.84"	77°23'12.05"	पुन्नायापुरम
एस	9°11'28.68"	77°21'11.74"	पुलियांकुडी सड़क
आई	9°14'12.59"	77°22'57.76"	वासु पेरियाकुलम
जे	9°18'59.94"	77°23'32.78"	रसिंगापेरिकुलम

के	9°21'35.64"	77°24'24.26"	विश्वनाथापेरी टैंक
एल	9°22'8.76"	77°24'27.90"	शिवागिर सड़क
एम	9°22'29.42"	77°23'55.61"	कोमबायार
एन	9°22'49.73"	77°23'56.58"	वज़हीविली अरु
ओ	9°22'1.27"	77°23'51.83"	देवी अरु

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ नेल्लाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारुप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारुप
1.	बगवाथीपुरम	राजस्व ग्राम	शेनकोट्टाई	तिरुनेलवेली	9° 1'1.20"	77°11'38.26"
2.	तिरुमलाईकोविल अदिवाराम	राजस्व ग्राम	शेनकोट्टाई	तिरुनेलवेली	9° 1'56.64"	77°13'33.24"
3.	मेक्काराई	राजस्व ग्राम	शेनकोट्टाई	तिरुनेलवेली	9° 3'38.99"	77°13'9.59"
4.	कालाईमन्नगर पलियार कुदियिरुप्पु	राजस्व ग्राम	कदयानाल्लुर	तिरुनेलवेली	9° 7'59.20"	77°18'25.34"
5.	थालायानाई पलियार कुदियिरुप्पु	राजस्व ग्राम	शिवागिरि	तिरुनेलवेली	9°17'47.54"	77°21'19.58"
6	सेलीम्बुथोप्पु पलियार कुदियिरुप्पु	राजस्व ग्राम	वसुदेवानाल्लुर	तिरुनेलवेली	9° 13'28.8"	77°19'50.3"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख की सदृश्य गलती के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाए) ।
6. पर्यावरण समाघात अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

S.O. 2794(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 5835(E), dated the 22nd November 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26th November 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Nellai Wildlife Sanctuary is spread over an area of 356.7333 square kilometres (35,673.33 hactare) under Tenkasi, Shenkottai, Kadayanallur and Sivagiri Taluk of Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu and the said Sanctuary is situated in 8°30" N to 9°30" N latitude and 76°10" E to 78°20" E longitude;

AND WHEREAS, Tirunelveli Forest Division of Western Ghats area was formed as Nellai Wildlife Sanctuary over an extent of 35,673.33 hactare as per Government Order Mo.12 dt 12.01.2015 for protecting, conservation and preservation of fragile ecosystem and the aforesaid Sanctuary harbours plethora of plant and animal species and it has recorded 456 plant species which includes 3 gymnosperms, 40 rare, endangered and threatened species, and the said Sanctuary is also habitat for 64 mammals, 69 reptiles and 118 species of avifauna;

AND WHEREAS, about 27 rivers and streams are identified in the Ghats section of the division, due to scanty monsoon and reduction in the vegetation density of vegetation in the middle and lower reaches of the watershed region, most of the rivers and streams go dry, however, seasonal and flash floods are also commonly reported;

AND WHEREAS, the important rivers of this division are Devi aru, Udumbutheri aru, Valivalli aru, Peyan aru, Kombai aru, Pasiathu odai, Rasingaperi aru, Kulasekaraperi aru, Kaliaru, Vattakanni aru, Kuliratti aru, Kottamalai aru, Karuppasamy aru, Valaimalai aru, Periya aru, Chittaru, Palaru, Varattaru, Hanuman Nadhi, Erumaichedi aru, Adavinayinaru aru, Ukkoru aru, Mottai aru, Karungal odai, Ainthalai aruvi, Chittaru, Azhuthakanni aru (old Courtallam falls), Pondukallu aru and almost all the said rivers never reach the Bay of Bengal but end in numerous tanks in the plains and are fully utilised by the people;

AND WHEREAS, the Nellai Wildlife Sanctuary has diversity of flora and fauna, examples of flora are Nayuruvi (*Achyranthes aspera L.*), Chennayuruvi (*Achyranthes bidentata blume*), Chokkala (*Aglaia elaeagnoidea* Juss. Benth), Kootanarai (*Alphonsea sclerocarpa* Thw.), Mootu pazham (*Baccaurea courtallensis* Muell-Arg.), Ottupullu *(Bidens pilosa* L.*),* Thenpoo *(Vernonia travancorica* Hook. f.*),* etc.

AND WHEREAS, the aforesaid Sanctuary has variety of birds, butterflies, insects, reptiles, amphibians, and mammals. Examples of mammals are spotted deer (*Axis axis*), Indian gaur (*Bos gaurus*), Asian elephant (*Elephas maxinus*), wildboar (*Sus scrofa*), Nilgiri langur (*Semnopithecus entellus*), etc, examples of birds are red-whiskered bulbul (*Phycnonotus jocous*), white breasted kingfisher (*Halcyon smyrnesis*), peafowl (*Pavo cristatus*), Indian cuckoo (*Cuculus micropterus*) etc, examples of amphibians are common Indian toad *(Duttaphrynus melanostictus),* skipper frog *(Euphlyatis cyanophlyctis),* etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the protected area of Nellai Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and

to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) kilometre to 1 kilometre around the boundary of Nellai Wildlife Sanctuary, in Tirunelveli district in the State of Tamil Nadu as the Nellai Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) kilometre to 1 kilometre around the boundary of Nellai Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 106.24 square kilometres (*zero extent towards the northern boundary is bordered with Grizzled Giant Squirrel Sanctuary, while western side is surrounded by Periyar Tiger Reserve, Sanctuaries and Reserved Forests of Kerala and the southern side is covered by Courtallam and Puliyarai Reserved Forest which has several waterfalls and hence keeping zero Eco-sensitive Zone*.

    a. The boundary description of Nellai Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

    b. The maps of the Nellai Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

    c. List of geo-coordinates of the boundary of Nellai Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

    d. The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done by taking measures of mitigation, as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done by taking measures of mitigation, as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per applicable laws and the activity should be strictly monitored by the concerned authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Tirunelveli	Chairman, ex officio
(ii)	Tahsildar, Tenkasi, Shenkottah, Kadayanallur, Sivagiri	Member;
(iii)	A representative from Town Country Planning Department	Member;
(iv)	A representative of Non-Government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(v)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	A representative from the State Public Works Department	Member;
(viii)	A representative from the State Pollution Control Board	Member;
(ix)	A representative from the Geology and Mining Department	Member;
(x)	District Forest officer, Tirunelveli	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Supreme court, etc. orders.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Additional measures.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or a High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/30/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF NELLAI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF TAMIL NADU

North	The north boundary is covered by Grizzled Giant Squirrel Sanctuary, Srivilliputhur.
North East	Hence the boundary runs towards south to meet the northern boundary of the Viswanathaperi Village through Kombayar and Vavzhili aru.
East	Hence the boundary runs towards south direction through Rasingaperikulam, Vasuperiyakulam to meet Puliyankudi meet.
South East	The boundary starts towards South to meet Valayar Kudiriruppu.
South	The boundary runs towards south to meet Bagavathipuram Village by crossing Achankovil rod, tirumalaikumarasamy kovil road and Angan college village.
South West	The south west Boundary is covered by Courtallam RF and the Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve and Kerala state.
West	The western side of the Nellai Wildlife Sanctuary are surrounded by Periyar Tiger Reserve, Shenduruny Wildlife Sanctuary, Peppara Wildlife Sanctuary and Neyyar Wildlife Sanctuary, Neyyar Wildlife Sanctuary and Reserved Forest areas
North West	The north west side in Ranni Forest division, Thenmalai forest division and Trivandrum forest divisions of Kerala State.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF NELLAI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE AND 10 KILOMETER BUFFER ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

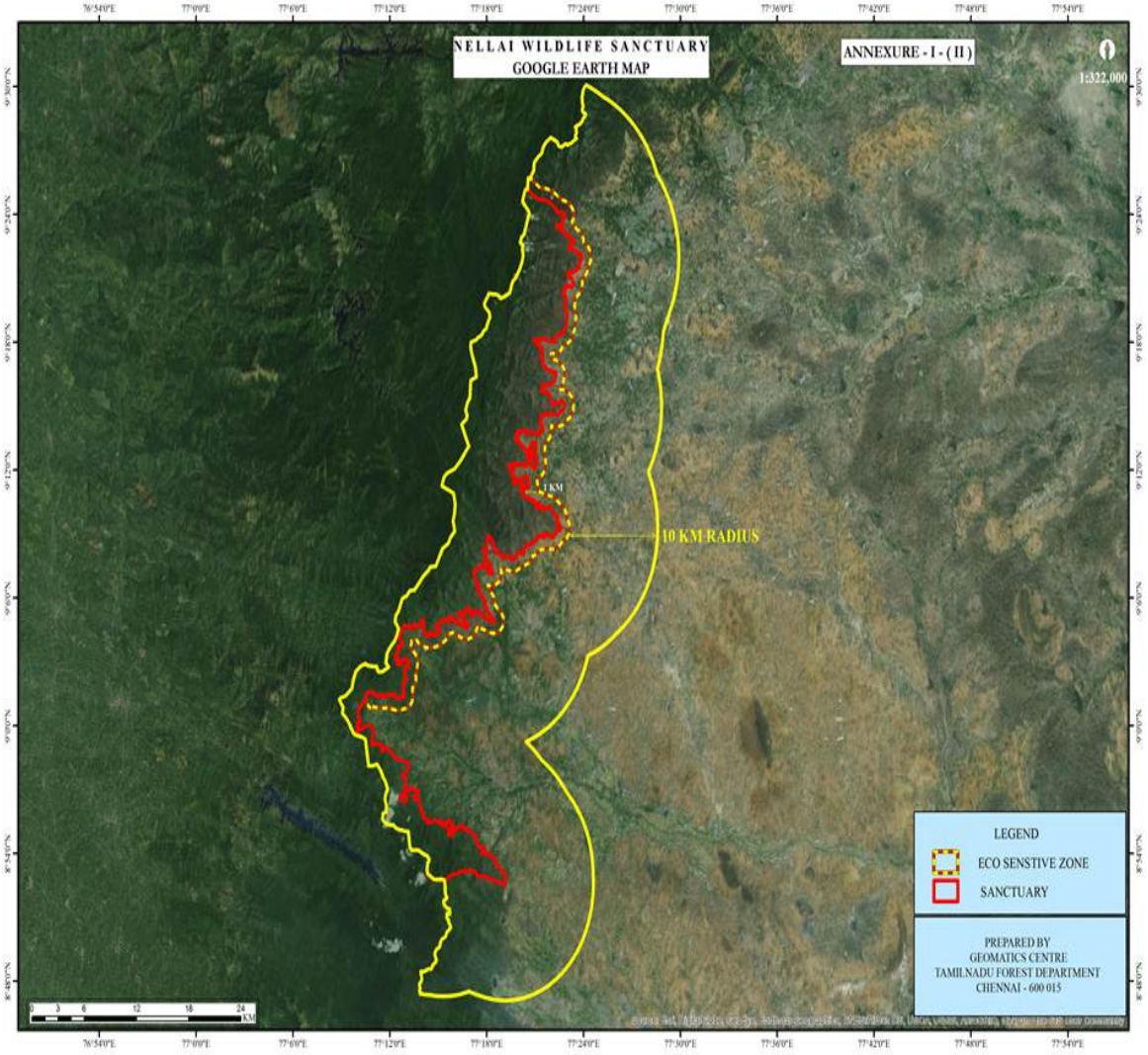

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NELLAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

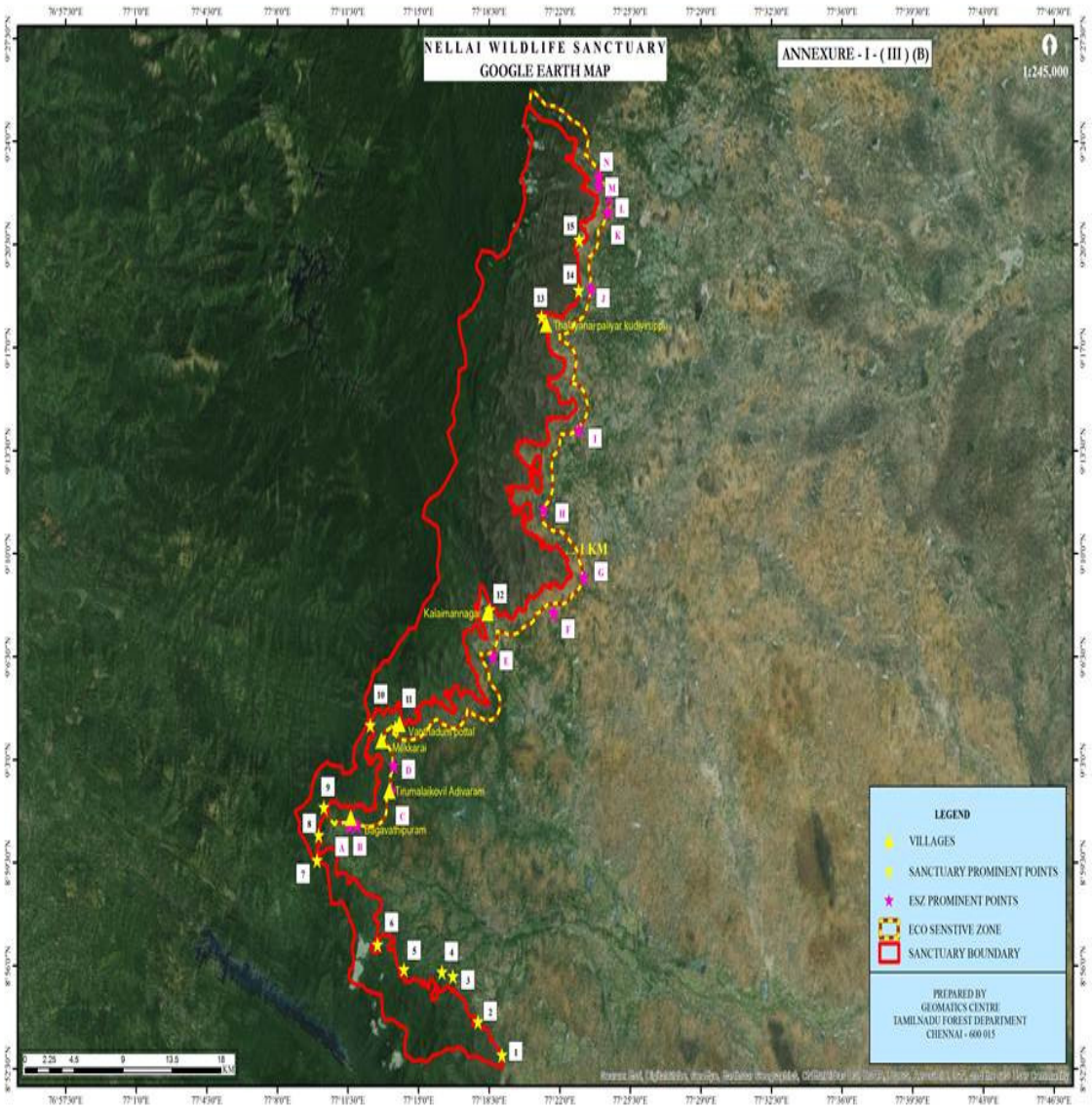

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NELLAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

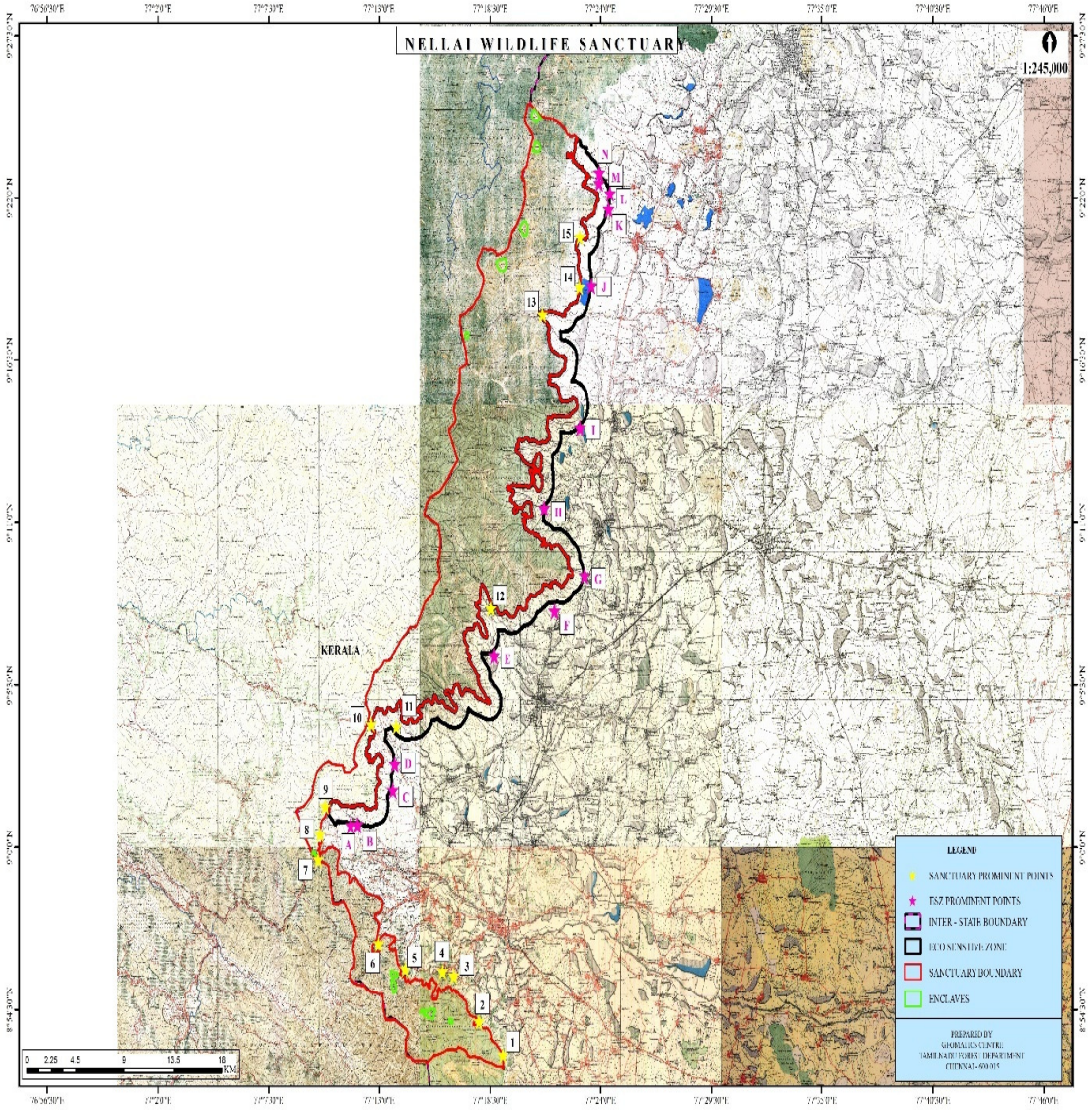

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NELLAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

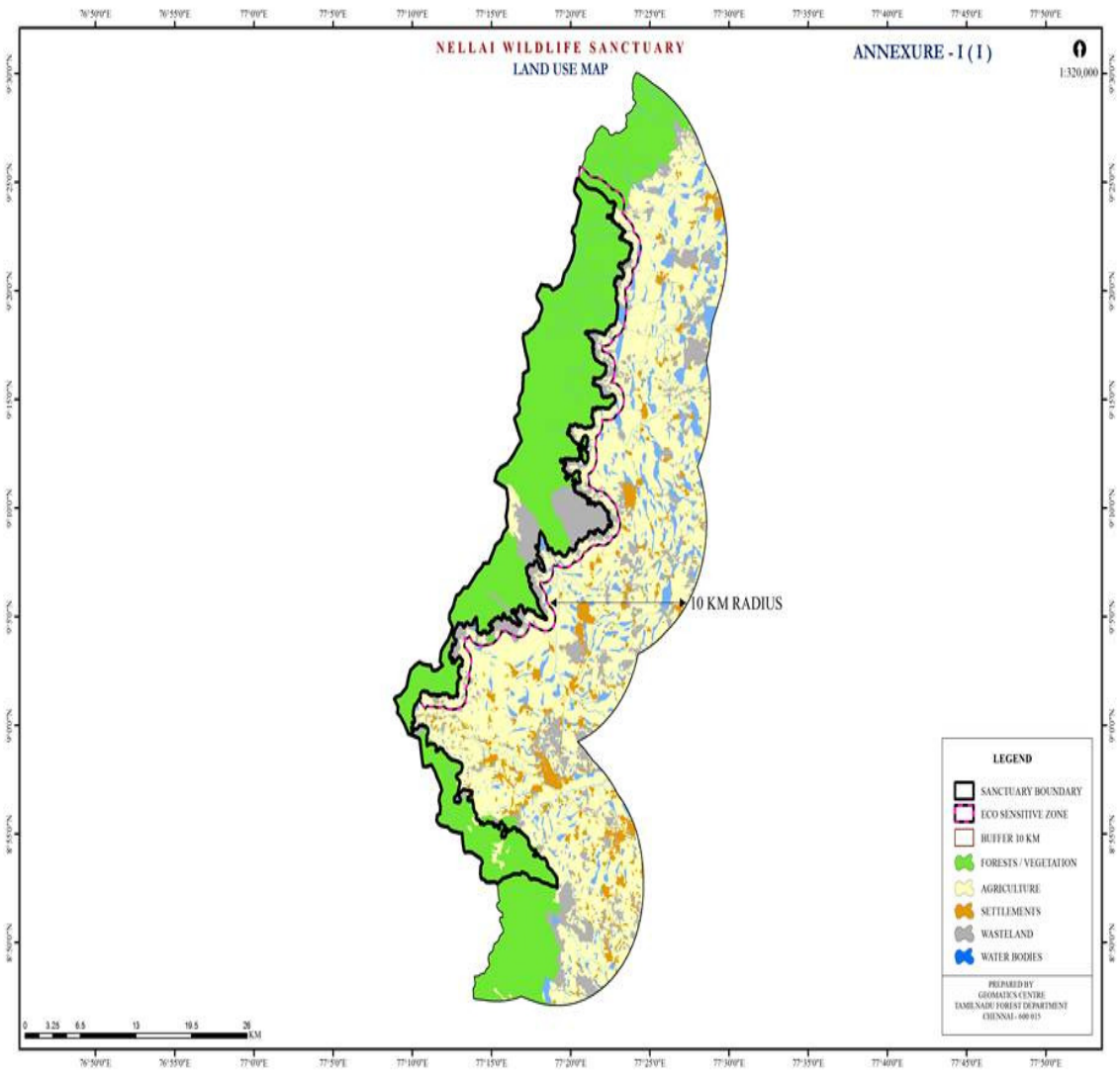

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NELLAI WILDLIFE SANCTUARY

S. No	Latitude	Longitude	Prominent point
1	8°52'57.83"	77°19'8.04"	KMTR boundary
2	8°54'5.44"	77°17'57.23"	Old Courtallam
3	8°55'38.50"	77°16'42.42"	Tiger falls
4	8°55'47.24"	77°16'9.41"	Mainfalls
5	8°55'52.28"	77°14'16.94"	Five fallas
6	8°56'43.12"	77°12'58.57"	Gundar Dam
7	8°59'34.58"	77° 9'58.39"	Ghat Road
8	9° 0'25.81"	77°10'3.11"	S Bend
9	9° 1'22.58"	77°10'18.62"	Puliyaruvi Dam
10	9° 4'10.45"	77°12'36.54"	Achankovil Road
11	9° 4'4.87"	77°13'51.02"	Adavinainar dam
12	9° 8'4.99"	77°18'32.15"	Karuppanadhi Dam
13	9°18'2.12"	77°21'6.48"	Thalayanai river
14	9°18'56.56"	77°22'56.60"	Rasingaperi lake
15	9°20'39.23"	77°22'57.90"	Kobayar river

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No	Latitude	Longitude	Prominent Name
A	9° 0'44.64"	77°11'34.98"	Bagavathipuram Village
B	9° 0'45.79"	77°11'56.33"	Angan colony village
C	9° 1'55.49"	77°13'40.37"	Thirumalaisamy kovil Road
D	9° 2'48.08"	77°13'46.06"	Achankovil Road
E	9° 6'29.45"	77°18'41.44"	Kadayanallur Road
F	9° 7'59.38"	77°21'42.23"	Near Valayarkudiyiruppu
G	9° 9'11.84"	77°23'12.05"	Punnayapuram
H	9°11'28.68"	77°21'11.74"	Puliyankudi road
I	9°14'12.59"	77°22'57.76"	vasu Periyakulam
J	9°18'59.94"	77°23'32.78"	Rasingaperikulam
K	9°21'35.64"	77°24'24.26"	Viswanathaperi Tank
L	9°22'8.76"	77°24'27.90"	Sivagir Road
M	9°22'29.42"	77°23'55.61"	Kombayar
N	9°22'49.73"	77°23'56.58"	Vazhivili Aru
O	9°22'1.27"	77°23'51.83"	Devi aru

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NELLAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (North) Degree, Minute, Second format	Longitude (East) Degree, Minute, Second format
1.	Bagavathipuram	Revenue Village	Shenkottai	Tirunelveli	9° 1'1.20"	77°11'38.26"
2.	Tirumalaikovil Adivaram	Revenue Village	Shenkottai	Tirunelveli	9° 1'56.64"	77°13'33.24"
3.	Mekkarai	Revenue Village	Shenkottai	Tirunelveli	9° 3'38.99"	77°13'9.59"
4.	Kalaimannagar Paliyar kudiyiruppu	Revenue Village	Kadayanallur	Tirunelveli	9° 7'59.20"	77°18'25.34"
5.	Thalayanai paliyar kudiyiruppu	Revenue Village	Sivagiri	Tirunelveli	9°17'47.54"	77°21'19.58"
6	Selimbuthoppu Paliyar kudiyiruppu	Revenue Village	Vasudevanallur	Tirunelveli	9° 13'28.8"	77°19'50.3"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.08.10 10:14:27 +05'30'